

PENCiL पोर्टल

स्रोत: पी.आई.बी

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा [बालक श्रम \(प्रतिबंध और वनियमन\) अधिनियम, 1986](#) के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में PENCiL (बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच) पोर्टल लॉन्च किया गया था।

■ इस पोर्टल के पाँच प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- [केंद्र सरकार](#)
- [राज्य सरकार](#)
- ज़िला परियोजना समितियाँ
- [बाल ट्रैकिंग प्रणाली](#)
- [शिकायत कॉर्नर](#)

■ बाल श्रम रोकने हेतु अन्य पहल:


◦ बाल श्रम: संवैधानिक और वधिक प्रावधान:

- [अनुच्छेद 24](#) में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है।
- [अनुच्छेद 39](#) में प्रावधान है कि "श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए"।

- [शिक्षा का अधिकार अधिनियम \(2009\)](#)
- [बालक श्रम \(प्रतिबंध और वनियमन\) अधिनियम, 1986](#)
- [कारखाना अधिनियम \(1948\)](#)
- [राष्ट्रीय बाल श्रम नीति \(1987\)](#)

■ भारत द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:

- न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973
- [संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन \(UNCRC\), 1989](#)
- [द वर्सट फॉर्मस ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, 1999](#)



CHILD LABOUR

in INDIA

10.1 million Children engaged in work in **INDIA**

Number of **Children** engaged in **work** between **5 to 14 years**

4.5 million | **5.6 million**

(According to 2011 Census)

• **Child Labour** most prevalent in:

2.1 M | Uttar Pradesh
1.0 M | Bihar
0.84 M | Rajasthan
0.7 M | Madhya Pradesh
0.72 M | Maharashtra



Child labour constitutes for **13%** of the workforce in **INDIA** (2011 Census)

Census report **2001** v/s **2011**

Rural	11.3 million	↓	8.1 million
Urban	1.3 million	↑	2 million

A RECENT CHANGE

Child labour is now invisible because the location of the work has changed from factories to the homes of business owners and workers.

Children are engaged in manual work which includes:



और पढ़ें: [बच्चों और घरेलू श्रम](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pencil-portal>

